बिहार सरकार

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

जमाबंदी पंजी प्रति

भाग वर्तमान : 41 पृष्ठ संख्या : 47 जमाबन्दी संख्या : कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या : 212140100149331

जिला का नाम :	Patna	अनुमंडल नाम :	Patna Sadar	अचंल का नाम :	Sampatchak	हलका का नाम :	KANAUJI KACHHUARA
मौजा का नाम :	मनोहरपुर कछुआरा	होल्डिग संख्या :	80	तौजी संख्या :		थाना नंबर :	117

SANJAY KUMAR, लिंग: पुरुष , SAMIR KUMAR
SINGH, लिंग: पुरुष , पिता/बाप/अबू -LATE RAM UDAY
SINGH, जाति-कुर्मी, निवासी- LAXMI NIWAS GANGA
PATH PATEL NAGAR POST- SASTRI NAGAR
PATNA

खाता सं॰	प्लाट/खेसरा सं॰	रकबा	चौहद्दी	परिवर्तन के लिए प्राधिकार	लगान	सेस
80	749	0 ए 8.59 डि 0 हे	पू॰: BHASKAR SHARMA प॰: PAIN ALANG उ॰: SMT PUNAM DEVI द॰: SANTOSH KUMAR	नामान्तरण मुकदमा संख्या 3800/2024 - 2025	10	0
	कुल परिमान	0 ए 8.59 डि 0 हे				

अंतिम लगान का विवरण

तारीख	प्राप्ति पत्र सं॰	साल से	साल तक	लागत बकाया
2025-03-29 18:16:50	29032506161007019503	2024-2025	2024-2025	0
2025-11-25 14:04:53	25112502021702498454	2025-2026	2025-2026	0

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध दाखिल ख़ारिज का विवरण Mutation Cases Not Found !!

यदि आप किसी भी प्लॉट के रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें !

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध भूमि बंधक (Land Mortgage) से सम्बंधित विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

जमाबंदी में किये गए बदलाव का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

उपरोक्त जमाबंदी के विरुद्ध विभिन्न राजस्व कोर्ट में दायर मुकदमों का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करे

Last Updated Date:-25/05/2026

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
Sampatchak,Patna
दाखिल-खारिज शुद्धि-पत्र

न्यायालय अंचल अधिकारी- AMIT KUMAR , **अंचल-** Sampatchak , **जिला-** Patna , **हलका-** KANAUJI KACHHUARA , **राजस्व ग्राम-** मनोहरपुर कछुआरा , **राजस्व थाना संख्या-** 117 , **दाखिल -खारिज वाद संख्या एवं वर्ष-** 3800/2024 - 2025 **में अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्त निम्नलिखित भूमि खारिज की जानी है:**

वाद के निष्पादन के उपरांत खारिज की जाने वाली भूमि का विवरण

जमाबंदी रैयत के भूमि का विवरण

जमाबंदी रैयत का विवरण	वर्तमान भाग संख्या	पेज संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1)राम उदय सिंह ,पिता/बाप/अबू -राम वृक्ष सिंह , जाति-N/A, पत्ता-पश्चिमी पटेल नगर, गंगा पथ |2)लक्ष्मी देवी ,सौहर / पति-राम उदय सिंह , जाति-N/A, पत्ता-'| 8	452	80	749	8.59 डिसमील

अंचलाधिकारी के आदेश के उपरान्तखारिज की गयी भूमि नया जमाबंदी भाग संख्या- 41 , **एवं पृष्ट संख्या-** 47 **पर संधारित की गयी है| नयी जमाबंदी के रैयत तथा भूमि का विवरण निम्नलिखित है:**

वाद के निष्पादन के उपरांत दाखिल की जाने वाली भूमि का विवरण

नए जमाबंदी रैयत का विवरण	नया जमाबंदी के भूमि का विवरण				भू-लगान
	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	चौहद्दी	
(SANJAY KUMARपिता/बाप/अबू - LATE RAM UDAY SINGH, जाति-कुर्मी, पता-LAXMI NIWAS GANGA PATH PATEL NAGAR POST-SASTRI NAGAR PATNA) एवं (SAMIR KUMAR SINGHपिता/बाप/अबू -LATE RAM UDAY SINGH, जाति-कुर्मी, पता-LAXMI NIWAS GANGA PATH PATEL NAGAR POST- SASTRI NAGAR PATNA)	80	749	8.59 डिसमील	पूरब -BHASKAR SHARMA पश्चिम -PAIN ALANG उत्तर -SMT PUNAM DEVI दक्षिण -SANTOSH KUMAR	10

Approved By : AMIT KUMAR
अंचल अधिकारी
Sampatchak

बिहार सरकार

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
अंचल अधिकारी का कार्यालय
Sampatchak, Patna

Duplicate Copy
29/03/2025

आदेश

जिला :	Patna	**अंचल :**	Sampatchak
दाखिल खारिज केस संख्या :	3800	**वित्तीय वर्ष :**	2024 - 2025

तिथि
18-Mar-2025

आदेश पर की गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया । क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया । प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा मनोहरपुर कछुआरा, थाना सं० 117

खाता सं०	प्लाट/खेसरा सं०	रकबा
80	749	0 एकड़,8.59 डिसमील, 0हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
RAM UDAY SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE DEVKINANDAN SINGH
LAXMI DEVI	सौहर / पति	LATE RAM UDAY SINGH

है | जिन्होनें निवंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 007239, दिनांक- 05/09/2024 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
राम उदय सिंह	पिता/बाप/अबू	राम वृक्ष सिंह
लक्ष्मी देवी	सौहर / पति	राम उदय सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ , किसी ने कोई आपत्ती नही की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

आम/खास सूचना निर्गत के उपरान्त कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है ।राजस्व कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी द्वारा सभी बिन्दुओ पर दिए गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर यह दाखिल ख़ारिज वाद स्वीकृत किया जाता है।भविष्य विवाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय का आदेश सर्वमान्य होगा|

अत: वार्षिक लगान **10 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है|। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :
AMIT KUMAR
अंचलाधिकारी
Sampatchak